

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, सोरो (कासगंज)

पत्रांक: 537 / न0पा0प0सोरो / 2017-2018

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2017

ई-टेंडरिंग अल्पकालीन निविदा सूचना

मेला मार्गशीर्ष "सूकरक्षेत्र महोत्सव" वर्ष 2017 दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ होकर दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित होने जा रहा है। मेले की प्रबन्ध व्यवस्थाओं के लिये निम्नलिखित कार्यों की ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत/फर्म द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर ऑन लाइन निविदायें <http://etender.up.nic.in> पोर्टल पर आमंत्रित की जाती हैं, निर्धारित निविदा शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) का बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सोरो के नाम का हो, की स्कैन कॉपी लगाकर दिनांक 06.11.2017 तक निविदा पोर्टल पर डाउनलोड की जा सकती हैं। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

S.N.	नगर पालिका / NPP Stage	ठेकेदार / Vender Stage	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अंतिम दिनांक व समय
1.	Tender Release	—	23.10.2017, 12:00 PM	24.10.2017, 12:00 PM
2.		Tender Download	24.10.2017, 12:00 PM	06.11.2017, 12:00 PM
3.		Bid Submission	05.11.2017, 12:00 PM	06.11.2017, 11:00 PM
4.	Close for Bid	—	—	06.11.2017, 12:00 PM
5.	Bid Opening	—	07.11.2017, 03:00 PM	—

मेला मार्गशीर्ष "सूकरक्षेत्र महोत्सव"

क्र0 सं0	जिला	कार्य का नाम	सामग्री तादाद	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ GST(रु0 में)	कार्य / आपूर्ति पूर्ण करने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	कासगंज	विद्युत सजावट (श्री गंगाजी हरि की पौड़ी परिक्रमा मार्ग में स्थित मंदिरों की भव्य सजावट (वराह भगवान मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, तेलीय जाति, शंकर जी की मूर्ति, रघुनाथ जी मंदिर, संत तुलसीदास पार्क, श्री गंगा माता मंदिर तथा कासगंज गेट स्थित वराह भगवान की प्रतिमा एवं गाँधी पार्क आदि पर सजावट हेतु) (मेला परिसर के पौचों गेटों एवं कासगंज गेट की भव्य सजावट कार्य हेतु) (मेला परिसर के समी मार्गों पर अस्थाई पोल लगाकर डबल द्यूब लाइट अन्य मूविंग करती हुयी फ्लेशर लाइट सजावट कार्य आदि हेतु।) श्री गंगाजी हरि की पौड़ी के चारों तरफ मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु मेला परिसर कोतवाली व अन्य कैम्पों में विद्युत व्यवस्था हेतु। अस्थाई मेला दुकानों पर प्रकाश हेतु	10000 वल्व 6 वॉट , 500 वल्व 25वॉट, 06 नग हैलोजन लाइट, 2000 वल्व 60वॉट 5000 वल्व 6 वॉट, 200 नग द्यूब लाइट, 4 सुदर्शन चक्र, 60 तश्चीरें 150 अस्थाई पोल एवं 300 द्यूब लाइट 04 फुटी तथा 150 सुदर्शन चक्र 2000 वल्व तिरंगा 60वॉट आवश्यकता अनुसार 500 सी0एफ0एल0 लाइट	100000	1500+270	दिनांक 26 नवम्बर, 2017 तक मेला प्रांगण में विद्युत सजावट कार्य पूर्ण कर दिखाना होगा।
2		टैण्ट शामियाना मेला परिसर में कैम्पों हेतु टैण्ट शामियाना व्यवस्था।	40 नग शामियाना फर्श सहित, 50 नग कनातें, 02 नग रावटी 14x14 फर्श सहित, 40 नग फर्श, 02 नग डेरा, 20 नग पलंग फोल्डिंग, 50 नग फ्रेन्सी कुर्सी, 200 नग साधारण कुर्सी, 15 नग मेज बडी, 02 नग सेन्टर टेबल, 02 नग स्विज कार्टेज, 20 नग सोफा सैट कवर सहित, 50 नग तकिया, 50 नग चादर, 40 नग दरी कारपेट (मैटी), 50 नग परदा, 01 नग गेट, 25 नग रजाई, 25 नग गद्दा, 03 नग कोटी	100000	1500+270	दिनांक 26 नवम्बर, 2017 तक मेला प्रांगण में टैण्ट शामियाना कार्य पूर्ण कर दिखाना होगा।

विद्युत सजावट एवं टैण्ट शामियाना हेतु विशेष शर्तें

1. विद्युत ठेकेदार के लिये "ए" क्लास का लाइसेंस जो कि वर्ष 2017-18 तक के लिये अनुमोदित हो।
2. विद्युत ठेकेदार द्वारा सजावट कार्य अपने स्तर से कराना होगा, तथा लगाये गये सामान की टूटफूट आदि की जिम्मेदारी आपूर्ति कर्ता/ठेकेदार की स्वयं की होगी।
3. विद्युत आपूर्ति कर्ता/ठेकेदार को पर्याप्त जनरेटरों की व्यवस्था अपने स्तर से निःशुल्क करनी होगी।
4. मेला अवधि में यदि प्रकाश व्यवस्था में व्यवधान होता है तो आपूर्ति कर्ता/ठेकेदार के बिल/जमा, जमानत धनराशि से रु0-20,000/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जायेगी।
5. आवश्यकतानुसार किसी भी विद्युत सामान में बढ़ोत्तरी अथवा कमी की जा सकती है।
6. मेले में लगे दुकानदारों/खेल तमाशों को विद्युत कनेक्शन पालिका की अनुमति से विद्युत ठेकेदार को देना होगा।
7. मेले में लगे दुकानदारों/खेल तमाशों से विद्युत जलत आपूर्ति का भुगतान पालिका द्वारा वसूल किया जायेगा।
8. विद्युत सजावट का ट्रायल दिनांक 26.11.2017 को शायं 05:00 बजे देना अनिवार्य है।
9. विद्युत सजावट में लगे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर ठेकेदार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
10. विद्युत ठेकेदार को पैन नम्बर व टिन नम्बर एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. विद्युत विभाग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर से कराना होगा।
12. ठेकेदार को समस्त टैण्ट शामियाना नियत स्थानों पर अधिकृत कर्मचारी के निर्देशन में दिनांक 26.11.2017 तक लगाना अनिवार्य होगा।
13. टैण्ट शामियाना ठेकेदार को अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी होगी।
14. टैण्ट ठेकेदार को पैन नम्बर व टिन नम्बर एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. उपर्युक्त कार्यों में आइटमों की तादाद में कमी अथवा बढ़ोत्तरी का अधिकार पालिका परिषद, में निहित होगा।
16. उपर्युक्त से सम्बन्धित अन्य शरायतें व जानकारी नगर पालिका परिषद, कार्यालय सोरों पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
17. निविदा की धरोहर धनराशि की FDR/NSC मूल रूप में, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सोरों के पदनाम से बन्धक होगी, की मूल प्रति दिनांक 26.11.2017 तक देना अनिवार्य होगा।
18. समस्त दस्तावेजों के सत्यता सम्बन्धित शपथ पत्र।
19. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
20. सशर्त ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
21. अन्य शर्तें पालिका के किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

(सन्तरेन्द्र नाथ यादव)
अवर अभियन्ता
नगर पालिका परिषद
सोरों (कासगंज)

(सन्तराम सरोज)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सोरों (कासगंज)

पत्रांक व दिनांक तदैव

1. प्रतिलिपि, निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, कासगंज।
3. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय), कासगंज।
4. उप-जिलाधिकारी, कासगंज।
5. संवाददाता दैनिक समाचार पत्र (1) "अमर उजाला (2) राष्ट्रीय सहारा, सोरों" को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापित को अपने समाचार पत्र के अंक में (छोटे अक्षरों एवं कम स्पेस में) प्रकाशित कराकर शासकीय दर पर बिल भुगतान हेतु मय 02 प्रतियों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. कार्यालय नगर पालिका परिषद, सोरों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

दि० 16-10-017
स्क प्रतिप्राप्त की
सोन् डूबे

(सन्तराम सरोज)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सोरों (कासगंज)